

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग III—भुष्य 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ei. 11]

नई विल्ली, संगलवार, अप्रैल 21, 1992/वैशाख 1, 1914

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 1992/VAISAKHA 1, 1914

इ.स. भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संक्रलन को रूप में रखा जा सकी

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(मसाला बोई)

प्रधिसूचना

कोचीम, 10 मार्च, 1992

फा. सं. 13/2/88 सत्तर्कता :- भसाला बोर्ड प्रक्षितियम, 1986 (1986 को 10) की धारा 34 के साथ पटित धारा 39 द्वारा प्रदत्त काक्तियों के प्रयोग में, मसाला बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुभोदन से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :--

भाग - I

प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भः (1) इन विनियमों की मसाला ओर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियम्झण एवं प्रपील) विनियम, 1992 कहा जाए।

(2) ये विनियम सरकारी राजपक्ष में प्रकाशित किए जाने की सारीख से लागु होंगे। 2 परिभाषाएं - जब सक कि संदर्भ से झन्यवा अपेकित न हो, इन वितियमों में -

- (क) कोर्क के कर्मचारी के संबंध में 'तियोजता प्राधिकारी से द्राणिप्राय-
- (i) उस प्राधिकारी से है, जिसे उस पद पर नियुक्तियां करने का अधिकार है, जिसे बोर्ड का कर्मधारी धस्थायी रूप से धारण करता है, घयवा
- (ii) उस प्राधिकारी से हैं, जिसने उस पद पर बोर्ड के कर्मचारी की नियुनित की, जिसे वह ग्रस्थायी रूप से धारण करता है,
- (ख) "बोर्ड" से प्रभिन्नाय मसाला बोर्ड प्रधिनियम, 1986 (1836 का 10) के प्रधीन गठित मसाला बोर्ड से है,
- (ग) "बोर्ड के कर्मचारी" से प्रभिन्नाय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे बोर्ड के श्रद्यीन नियोजित किया गया हो और जिसे केन्द्रीय धरकार प्रथम राज्य सरकार के ऐसे नियोजित कर्मचारियों में सम्मिलित किया जाता हो,
 - (६) "भ्रष्टमक्षा" से अभिप्राय बोर्ड के श्रष्टमक्ष से 🕏
- (क्) "झनुशासनिक प्राधिकारी" से ग्रामिप्राय उस प्राधिकारी में है, जो इन विनियमों में विनिविष्ट किसी भी ग्रास्ति को बोर्ड के कर्मचारी अधिरोपित करने के लिए इन विनियमों में ग्राधीन क्षक्षम है।

1009 GI/92

- (च) 'भेतन' से ग्राधिप्राय नहीं होगा, को फैन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियो पर लागू मृत निवमों के मृत निवम 9 (21) (क) (1) में बैतन'' के लिए निर्द्यारित किया गया है,
 - (छ) "प्रमुक्षी" से प्रभिन्नाब इत जिनियमी की अनुसूकी से है,
 - (ज) "सचिय" से भाभिप्राय बोर्ड के समित्र से हैं
 - (m) ''सेवा'' से धांभजाय बोर्ड के शबीन तेमा से है,
- (छ) ब्रिसी पद के बेनन ग्रवणा "बेसनमान" से ग्राजिनाय उस पत्र के सम्बद्ध जेतन ग्रव्या जेतनमाम से है।
- 3- अनुप्रयोग :-- ये विनियम निम्नलिखित को छोड़कर बोर्ड के सभी कर्मभाग्यों पर लागु होगे :---
- (क) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे धनियत अप को नियोजित किया
 गवा है।
 - (क) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो दैनिक भजदूरी पर निमोजित हो,
- (ग) ऐसा कोई भी ब्यक्ति, जो एक महीने से कम प्रविध के नीटिस
 नर सेवा-मुक्ति के प्रश्लीम हो, और
- (घ) ऐसा कोई भी क्यक्ति, जिसकी नियुक्ति नियमित स्थापना के सिए न की गई हो।
- (2) उप-विशियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्रतुमोदन से, धादेश द्वारा बोर्ड के किसी भी कर्मवारी को सा कर्मवारियों के समृष्ट को इन सभी विशियमों या इनमें से किसी विशियम के प्रवर्तन से वंजित कर सकता है।
- (३) यदि कोई सन्देह उत्पत्न होता है, तो मामला निर्णय के लिए केल्ड्रीय सरकार को प्रेषित किया जाएगा, भन्ने ही ये सभी विनियम या इनमें से कोई विनियम किसी ध्यक्ति पर लागु होते हों।

भाग- 11

वर्गीकरण

पदों का अर्गीकरण :-- बोर्ड की सेवा के प्रधीन सभी पदों को निम्न वर्षीकृत किया जाण्या :--

कम संख्या पदीं का प्रकार

पद्धें की वर्गी-

करण

- 4,000/- ध्रममे और इससे मधिक देशन या वर्ग "क" वेतनमान वाला बोर्क का कोई पव।
- 2. 2,900/- रुपये मा इससे प्रधिक किन्तु 4,000/- वर्ग "ब" इ. से कम वेतन या वेतनमान वाला बोर्ड का को प्रव
- 1,150/- कामें से झिल किन्तु 2,900/- कामें वर्ग "य"

 से कम वेतन या वेतनमान वाला बोर्ड का कोई

 पक्ष।
- 1,150/- रुपये मा इससे कम वेतन वा वेतम- वर्ग "घ" वाला बोर्ड का कोई पद ।

भाग -]][

नियोक्ता प्राधिकारी

5 मेबा के लिए निय्क्ति:--

भसाता कोई अधिनियम, 1986 की धारा - 4 की उपकारा (1) में उक्तिसिखित पटों के लिए निमुक्तियां प्रतृपूची में इस संबंध में विनिविष्ट अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

भाग - IV

निमम्त्रम

७ निलम्बन :--

- (1) नियोक्ता प्राधिकारी या कोई प्रत्य प्राधिकारी, जिसके यह प्रधीन है, प्रवचा अनुप्रामनिक प्राधिकारी या कोई प्रत्य प्राधिकारी, जिसे प्रध्यक्ष हारा इस संबंध में प्रशिक्षण किया गया हो, सामान्य या विशेष प्रादेश द्वारा निक्तिसिखित स्वितियों में बोडें क किसी कर्मवारी की निसम्धनाधीन प्रवासकता है:----
- (क) जहां उसके खिलाफ कोई ग्रनुवासनिक कार्यवाही चल रही हो। भवना श्रनिर्णीत हो, भथना
- (ब) जहां पूर्वोक्त प्राधिकारी के विचार में उसमें राज्य के मुरक्षा-दिसों पर प्रतिकल प्रभाव टालने याने कार्यकलागों में भाग लिया हो, प्रथवा
- (ग) जहां किसी दण्डनीय धपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई नामला क्रत्वेवण, पूछनाछ क्रथंबा जांव पड़सास के क्रधीन हो।

किन्तु प्रार्त यह है कि जहां निलम्बन का द्यादेश नियोक्ता अधिकारी के निम्नतर के किसी प्राधिकारी द्वारा अथवा अध्यक्ष से विशिष्ट प्राधिकार अथवा किए बिना दिया जाता है, तो बह प्राधिकारी बाद में उन परिस्थितियों के संबंध में सम्प्रथ्य को या संबंधित प्राधिकारी को संश्रुचित करेगा, जिनमें आदेश दिया गया था और की गई कार्रवाई के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- (2) बोर्ड के कर्मचारी को नियोशना प्राधिकारी के घादेश द्वारा निस्त-लिखित नारीच में निलम्बनाधीन रखा हुआ माना जाएगा :--
- (क) यदि उसे 48 बंटों से प्रधिक श्रविधि तक किसी वण्डनीय प्रवराधन के कारण श्रवमा प्रत्येथा श्रविदक्षा में रखा जाता है, तो उसकी मजरबन्दी की तारीख से, श्रवमा
- (क) यवि किसी प्रपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में, उसकी 48 घंटों से प्रधिक प्रविध के लिए काराबास की मजा हो जाती है और उस दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप उसे बाद में बर्बास्त या पदच्युत मा प्रतिवार्यतः सेवा निवृत्त नहीं किया जाता है, तो उसकी दोषसिद्धि की तारीख से।
- स्मण्डीकरण :- इस उप विनिधम के खंड (का) में उठिलखित 48 वंटों की धवधि दोधसिद्धि के बाद काराबास के प्रारम्भ होने से गिनी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, काराबास की विरामी धवधियों, यदि कोई हों, हिमाब में ली जाएंगी।
- (3) जहां निलम्बनाधीन बोर्ड के किसी कर्मचारी पर प्रधिरोपित सेवा से बर्बास्तगी, पर क्युनि या प्रनिवार्य सेवा निवृति की शास्ति इन विनियमों के प्रधीन पुनर्विचार करने पर या प्रपील किए जाने पर प्रस्कीकार की जाती है और मामला धुनैश्रीच या कार्रवाई के लिए प्रथम किन्हीं अन्य निवंशनों से स्थिति किया जाता है, तो उसके निलम्बन का प्रावेश बर्खास्तगी, पर च्युति या प्रनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल प्रावेश की तारीच से लागू माना जाएगा और वह तब तक लागू रहेगा जब तक कि प्रयत्ने प्रावेश जारी नहीं हो जाते।
- (4) जहां बोर्ड के किसी कर्मचारी पर प्रधिरोपित सेवा से बर्खास्तकी पद क्यूति या प्रनिवार्य सेवा-निवृक्ति की सास्ति विधि त्यायालय के निर्णय के परिष्णामस्वस्प धम्बीकार कर वी जाती है या प्रमान्य घोषित कर वी जाती है, और धमुणासनिक प्रधिकारी उम प्रारोपों के धाधार पर उसके खिलाफ पुनेजांच करने का निर्णय खेता है, जिनके घाधार पर बर्खास्तगी पद च्यूनि या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः प्रधिरोपित की गई थी, तो बोर्ड के कर्मचारी को वर्जास्तगी, परच्यूनि या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल घादेश की नारीख से सक्षम प्रधिकारी द्वारा निलम्बना-धीन रखा हुआ माना जाएगा बीर वह तब तक निलम्बामाधीन पहेगा, अब तक कि इस संबंध में घगले प्रारेश जारी नहीं किए आते।

किन्तु वर्त यह है कि इस प्रकार की किसी पूर्नेजांच के झावेज तब तक नहीं दिए आएंगे, जब तक कोई ऐसी स्थिति न हो, बहां क्षाबालब ने मामले के नुषाबनुण का गहन धश्यम किए बिना ही विशुद्ध कप से सकनीकी साबारों पर झादेश पारित कर दिया हो।

- (5) (क) इस मिनियम के प्रधीन दिया गया या दिया मान सिवा यया कोई मिनम्बन प्रादेश तब तक सानू रहेगा, अब तक कि सक्षम शाधि-कारी हारा उसे प्राशोधित या रह महीं कर दिया जाता।
- (ख) जहां बोर्ड के किसी कमंत्रारों को निलम्बिन कर दिया जाता है स्थवा निलम्बित किया मान खिया जाता है (चाहे किसी प्रनुणासनिक कार्यवाही के संबंध में या प्रत्यथा) और उस निलम्बन के कार्यकाल के दौराम उसके खिलाफ कोई प्रत्य अनुशासनिक कार्यवाही बारम्भ हो जाती है, तो उसे निलम्बनाधीन रखने में सक्षम प्राधिकारी, लिखित में वर्ज किए जाने वाले कारणों से यह निवेश वे सक्ता है कि बोर्ड का कर्मचारी सब तक निलम्बनाधीन रहेगा, जब तक कि ये सभी धनुशसनिक कार्यवाहियों समाप्त नहीं हो जाती।
- (ग) इस विनियम के मधीन आरी किया गया या जारी किया मान लिया गया भीई निलम्बन झादेण द्वारा उस प्राधिकारी, जिमने बहु भादेश जारी किया हो प्रथवा जिसके निए यह मान लिया गया हो कि उमने भावेश जारी किया है, द्वारा घथवा कियी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके वह प्राधिकारी श्रशीनस्थ हो, किसी भी समय माशोधित मथवा रह किया जा सकता है।

भाग V

शास्तियां एवं धनुशासनिक प्राधिकारी

7. शास्तियां :- -

उचित एव पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इससे भागे उल्पिखित कारणों से, बोर्ड के किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित कास्तियां इक्षिरोपित की जा सकती हैं:--

गोण शास्त्रियां :--

- (i) परिनिन्दा,
- (ii) उसकी पदोन्तति रोक लेगा,
- (iii) धादेशों का उत्लंघन या गादेशों की उपेक्षा द्वारा जसके द्वारा ग्रेड को पहुंचाई गई छत सम्बन्धी हानि की पूर्णतः प्रथमा शंकतः उसके वेतन से बसूली,
- (iv) बेलनवृक्षियां रोक लेना,

मुख्य णास्त्रियाः

- (v) किसी विनिधिष्ट प्रविध तक बेतन के समय मान में निस्नानर स्तर तक पदावनित, यह निर्देश वेते हुए कि बोर्ड का कर्मचारी पदावनित की इस अविध के दौरान वेनन वृद्धियां प्रजित कर सकेगा धानहीं, और इस ध्रवधि की समाप्ति पर, यह पदावनित उसकी भावी वेतनवृद्धियों को मुल्सवी करेगी प्रधवा नहीं करेगी,
- (vi) जिस ग्रेड या पय से बोर्ड के कर्मवारी को पदाबनत किया गया था, उस पर पुनः स्थापन सथा उस ग्रेड या पद पर पुनः स्थापन की वरिष्ठना एवं देतन की मानौं के संबंध में अगले निदेश जारी करते हुए अथवान करते हुए बेतन, ग्रेड या पद के निस्मतर समयमान तक पदाबनित, जो सामान्यतः उस पद ग्रेड या पद के समय-मान के संबंध में बोर्ड के कर्मचारी की पदोल्नित के लिए रोध (क्काबट) होगी, जिससे उसे पदाबनत िता था.

- (vii) अभिवार्थ सेवा मिवृत्ति,
- (viii) तेमा से निक्कासम, जो बीड के धन्नीन भाषी रोजगार के लिए धनीय्यता महीं मानी जाएगी,
- (ix) सेवा से बरबास्तानी जो बोई के बाधीन भाषी रोजनार के सिए बंगोरवता मानी आएती :

सेकिन ऐसे प्रत्येक मामले में कष्ड (viii) या कष्ड (ix) में उल्लिकित मास्ति मधिरोपित की जाएगी, जिसमें किसी सरकारी कार्य की सम्यान करने का लिए पुरस्कार या मामिप्रेरणा के रूप में, किसी व्यक्ति से विधिक या पारिश्रमिक को छोड़कर कोई परिसोचण प्राप्त करने का बारी सिक्क से परिसोचण प्राप्त करने का बारीप सिक्क हो जाता है:

पण्नु यह और कि किसी अपबादारमक भामसे में और सिक्कित में दर्जें किए जाने बाल विशेष कारणों से, कोई अन्य शास्ति भी छछिशोपित की जा सकती है।

स्पार्टीकरण:--इत विभियम के प्रात्तव के प्रन्तांत निक्किश्वित की शक्ति नहीं माना जाएगा, प्रवृत्त--

- (i) उसकी निवृक्ति की कार्नों या सेवा या पव, जिस पर कह कार्य कर रहा है, की निविद्यात करने बाले निवानों या कार्यसों के अनुसार किए विकासीय परीक्षा की उसीण करने में असफल हो जाने के कार्य बीडें के किसी कर्मकारी की वेसन-बुद्धियां रोक लेना,
- (ii) रोध पार करने में उसकी प्रयोग्यता के ग्राह्मार पर वेतन के समय-मान में दक्षठा-रोध पर बोर्ड के कर्मचारी की रोक लेना,
- (iii) मामले पर विचार करने के पण्यात, बोर्ड के किसी कर्मचारी को उस ग्रेड या पर पर पदोस्तत न करना, जिस पर पदोझित के लिए बह हकदार है, भले ही बह गूल या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो ।
- (iv) उज्ज पद या ग्रेड में स्थानायन सप से कार्य कर रहे ये है के किसी कर्यचारी का इस भाषार पर निम्नतर ग्रेड या पद पर सेवा के लिए प्रस्वावर्तन कि उसे वर्तमान उज्ज बेड या पद पर कार्य करते के लिए मनुपयुक्त समझा गया है भाषा उसके भाषारण से सम्बद्ध किया प्रशासनिक भाषार पर उसे प्रस्थावित किया गया है,
- (V) उन्नर्का नियुक्ति का मती वा पत्रिक्षीक्षा को नियन्त्रित कर्ये बाले भित्रकों और आदेशों के अनुसार, पर्तिक्षा सबित के दौरान वा मन्त में, परिक्षीक्षा पर नियुक्त बाई के किसी कर्यचारी का किसी झन्य बेड यापद पर, उसके स्वामी बेड या पर पर परश्वतंत,
- (Vi) बोर्ड के जिस कर्मचारी की सेवाएं किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के नियस्त्रणा-बीन किसी ब्रन्स प्राविकारण से ब्रहण की गई थी, उसकी सेवाओं का उस प्राविकारण के ब्रहीन प्रतिस्थापन, जिसने उसकी सेवाएं प्रदान की बीं,
- (vi) उसकी प्रविविधिता या सेशा-तिबृत्ति से संबेधित उपबन्धों के प्रतुसार कोई के कर्शनाणी की प्रतिवाद सेवा-निवृत्ति,
- (viii) (क्ष) उसकी निवृक्ति को शर्ती या परिकेशा को निविक्ति करने बाले निवकों और प्रावेकों के प्रमुक्तार, उसकी परिववीक्षा-प्रविधि के कैरान सा प्रन्त में, परिवीक्षा पर निवृक्त कोई के किसी कर्मकारी की सेवाएं समाप्त करना, प्रथमा
- (ख) उसकी नियुक्ति की गतीं के प्रनुसार, बोर्ड के मस्लामी कर्ग-चारी की सेवाएं समाध्य करनी, भगवा
- (ग) किए गए करार की मतों के धनुसार, किसी करार के मधीन श्रीजंत बोई के किसी कर्मवारी की सेवाएं समाध्य करनी ।

- अनुगामनिक प्राधिकारी
- (i) ग्रह्मक् घोडं के जिसो भी कर्मवारी पर विनियम ? में विनि-विष्ट को मी शास्ति पश्चिरीपित कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के उपबन्धों के प्रतिकृत प्राचरण किए विना, विभियम-7 में विनिर्दिष्ट कीई भी शास्ति नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयवा किया, ऐसे प्रस्थ प्राधिकारो द्वारा प्रधिरोपित की जा सकती है, जिसे बोर्ड के किसी सामान्य या विशेष भावेश द्वारा इस संबंध में प्रधिकृत किया गया ही और जो नियोक्ता प्राधिकारी से निस्त स्तरका न ही।
 - 9. कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकारी
- (।) श्रद्ध्यक्ष या विनियम-8 के प्रधान किसी सामान्य या विशेष श्रावेश श्रारा श्रीष्ठकृत कोई भ्रत्य प्राधिकारों---
- (क) बोर्ड के किसी भी कर्मजारों के खिलाफ ध्रनुशासनिक कार्पवाही ध्रारम्भ कर सकता है,
- (का बोर्ड के उस कर्ननारों के खिलाफ प्रनुगासनिक कार्यवाही शारका करने के लिए प्रपने प्रश्नेनस्थ धनुगासनिक प्राधिकारों की निदेश है सकता है, जिस पर बह प्रनुगासनिक प्राधिकारों इन विनियों के प्रये-विनियय-7 में विनिधिक्ट कीई भी गास्ति प्रधिरीपित करने के लिए सलम है।
- (2) जिन्ययं-2 के खण्ड (1) से खण्ड iv) तक में विनिर्विष्ट कौई भी मास्ति अधिरोपित करने के संबंध में इन विनियमों के अधीन सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम-7 के खण्ड (5) से खण्ड (15) में विनिर्विष्ट कोई भा मास्ति अधिरोनित करने के लिए बांड के किता भा कर्मभारों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भारम्भ कर सकता है, भने ही वह अनुशासनिक प्राधिकारी उन शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए इन विनियमों के अधीन सक्षम न हो।

भाग VI मास्तियां प्रधिरोपित करने की प्रक्रिया

10. मुक्य मास्तियां प्रधिरोपित करने को प्रक्रियाः

- (1) अहा तक सम्भव हो, इस विनियम और विनियम-II में उपबिधत पदिति के सनुमार जोज-पहताल करने के बाद जारी किए जाने वाले मादेगों को छोड़कर, विनियम-7 के खण्ड (V) से खण्ड (IX) तक में विनिदिष्ट कोई भी शास्ति प्रधिरोधित करने का खादेग जारो नहीं किया जाएगा।
- (2) जब भी अनुमासिनक प्राधिकारी का पहिन्तर हो कि बोर्ड के किसी कर्नवारी के जिलाफ दुर्व्यवहार या कवाचार से सम्बंधित किसी आरोप की सस्यता के बारे में जीन करने के लिए पर्याप्त कारण विश्वमान है, तो वह असकी स्थयं जीव कर सकता है, अथना उसकी सत्यता की जीव के लिए इस निनयम के अबीन कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टोकरण:--जद्दां प्रमुगामितिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी की ओर से स्वयं ही जांच-पड़ताल करता है, तो इस विनियम के घण्य उपिविनियमों में विया गया कोई मा निर्वेश प्रमुगासितक प्राधिकारी की ओर से दिए गए निर्वेश के रूप में माना जाएगा।

- (3) यदि इस विनियम और विनियम-II के घषीन बोर्ड के किसी कर्मनारी के खिलाफ जोच करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो मनु-शासिक प्राधिकारी:--
- (i) धारीप की सुनिध्यस एवं नुस्तव्य मर्वो में पुर्ध्वहार या कवाचार से संबंधित धारोपों का सार स्वयं लेखबळ करेगा या उगके लेखबळ किए जाने की व्यवस्था करेगा,
- (ii) भारोप की प्रत्के मद्य के समर्थन में बुब्यंबहार या कदाचार से संबंधित भारोपों काएक विवरण, जिसमें--
- (क) बोर्ड के कर्मवारी द्वारा स्वोकार विषय गय तथ्यों सहित, सभी जुलेगत तथ्यों काएक स्वीरा, तथा

- (ख) उन पस्तावेजों और उन साक्षियों की एक-एक, सूची सामिल होंगी, जिनके द्वारा धारीय की मदों की सस्य प्रमाणित करने का प्रस्ताव किया गया है, को स्वयं लेखबद्ध करेगा या उसके लेखबद्ध किए जाने की ध्यवस्था करेगा।
- (4) अनुषासनिक प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी के लिए प्रारोप की मयों, वुष्यंबहार या कदाबार से संबंधित धारीप की विजरण तथा दस्तावेजों और साक्षियों की सूची की एक प्रति सुपुर्व करेगा, जिनके ट्टारा धारीप की प्रस्तेक शव की सत्य प्रमाणित करने का प्रस्ताव किया गया है और बोर्ड के कर्मचारी से यह ध्रपेका करेगा कि वह विनिद्दिष्ट समय सोमा के धन्दर ध्रपनी प्रतिरक्षा के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करे और यह भी बताए कि वह ध्रपने इस मामले में अधिकतगत रूप से मुनवाई किए जाने की इच्छ। रखता है या नहीं।
- (5) (क) प्रतिरक्षा सम्बन्धी लिखित विवरण प्राप्त हो जाने पर अनुवासनिक प्राधिकारी प्रारोप की उन मदों से संबंध में स्वयं जांच अर सकता है, जिन्हें स्कोकार नहीं किया गया है, प्रयक्ष यदि वह प्रायक्ष्यका समझे, तो इस प्रयोजन के लिए उप-विनियम-(2) के प्रदान कोई जांच प्राधिकारा नियुक्त कर सकता है, और यदि बोई के कर्मनारी हारा प्रतिरक्षा संबंधा प्रपने किखित विवरण में प्रारोप की सभी मदों को स्वांकार कर लिया गया है, तो अनुवासनिक प्राधिकारी वह साक्ष्य, जिसे वह उचित समझे प्राप्त करने के बाद, प्ररोक प्रारोप के संबंध में प्रपने निव्वर्ग वर्ष करेगा और विनियम-12 में निव्वर्गन प्रक्रिया के प्रमुवार कार्रवाई करेगा:

किन्तु शर्त यह है कि यवि कार्यवाही विनियम-7 के अंश्रेश किसी आदेश के अनुपालन में आरम्भ को जाती है, तो कार्यवाही आरम्भ करने बाला प्राधिकारों यदि वह अनुपासनिक प्राधिकारों नहीं है तो, मामले के निपटान के लिए रिकार्ड सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारों को प्रस्तृत करेगा,

- (ख) यवि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रतिरक्षा संयंधी कौई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो धनुशासनिक प्राधिकारी धारोप की मदों के संबंध में स्वयं जांच कर सकता है, या, यवि वह धावस्यक समझे, तो उप-विनिधम (2) के धधीन इस प्रयोजन के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है।
- (ग) यदि अनुगासनिक प्राधिकारी आरोप की किसी मद के सम्बन्ध में स्वयं जांच करते के लिए किसी जांच करते के लिए किसी जांच धिकारी की नियुक्त करता है, ती वह धारीप की मद के समर्थन में मामले की अपनी और से प्रस्तुत करते के लिए "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" के सप में बोर्ड के किसी कमंचारी की या किसी वकील को आयेश द्वारा नियुक्त कर सकता है।
- (6) ध्रनुणासनिक प्राधिकारी, जहां वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी की निम्मलिखित दस्तावेज ध्रपेषित करेगा:---
- (i) धारोप की मदों तथा दुर्व्यवहार या कदाचार के भारोपों से सम्बन्धित विवरण की एक प्रति,
- (ii) बंदं के कर्मणारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा सम्बन्धी लिखित विवरण, यदि कोई हो, एक एक प्रति,
- (iii) उप-विनिधम (3) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ख) में निर्मिष्ट साक्षियों से सम्बन्धित विवरण, यदि कोई हो, की एक प्रति,
- (iv) दोशं के कर्मचारी के लिए उप-विभिन्न (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की सुपुर्वेगी को प्रमाणित करने वाला साध्य, और
 - (v) "प्रस्तुसकर्ता ग्रक्षिकारी" की नियुक्ति से सम्प्रक्षित भादेश की एक प्रति ।

- (7) बोर्ड का कर्नचारी जांच प्राधिकारी के सामने उस दिन तथा उस समय स्वयं उपस्थित होंगा, जिसे जांच प्राधिकारी इस सम्बन्ध में, लिखित मे ने।टिस द्वारा विभिविष्ट करेगा या उस प्रागार्मा समय के धन्तर (जो बस दिन से प्रधिक न हो), जिसका प्रानुमति जांच प्राधिकारी द्वारा प्रवाम की जांगा।
- (8) (क) जब तक कि धनुणासनिक प्राधिकारी द्वारा निमुक्त प्रस्तुतनर्ता धिकारा वकील न ही, या धनुणासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धनुमति न दे, तब तक बीई का धर्मवारी घपनी जोर से मामला प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के किसी दूसरे कर्मचारी की सहागता तो ले सकता है, किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी धर्काल की नियुक्त महीं कर सकता :

बरातें कि बोर्ड का कर्मधारी उस स्थिति में बोर्ड के किसी घन्य कर्मधारी की सरीयता नहीं लेगा, यदि उसके पास दी घनुशासनिक मामले विचाराधीन हों, जिनमें उसे सहायता प्रदान करनी है।

- (ख) बोर्ड का कर्मवारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के किसी सेवा-निवृत्त कर्मवारी की भी सहायता ले सकता है, किन्तु उन शर्ती के अर्दान, जिन्हें भव्यक्ष द्वारा विनिधिष्ट किया जाए।
- (9) यवि बोर्ड का वह कर्मचारी जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है, जिसने प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपने लिखित विवरण में आरोप की किसी भी मद को स्वीकार न किया हो, या जिसने प्रतिरक्षा सम्बन्धी कोई लिखिन विवरण प्रस्तुत न किया हो, तो जांच प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या यह चोषों है, या क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में कुछ करना चाहता है, और यदि यह आरोप की किन्हीं मदों के सम्बन्धों में अपना अपराध स्वीकार करता है, तो जांच प्राधिकारी इस अभिवचन को उर्ज करेना, वर्ज किए गए अभिवचन पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर योड के सर्मचारी के हस्ताक्षर कराएगा।
- (10) जांच प्राधिकारी मारीय की उन मदों के सम्बन्ध में ग्रापराध सम्बन्धी ध्यना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके लिए धोर्ड का कर्मचारी भवना प्रवराध स्वीकार करता है।
- (11) यदि बीर्ड का कर्मचारी विनिर्विष्ट समय के अन्तर उपस्थित नहीं होता है, या धापराध स्वीकार करने से चूकता है या धनकार करता है, तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकार्ता प्राधिकारी से धापेका करेगा कि चह, वह सावय प्रस्तुत करे, जिसके द्वारा बहु धारोप की मर्दी की प्रमाणित करना चाहता है। तत्त्वकात, जांच प्राधिकारी धागामी तारीक तक मामले की स्थापत कर देगा, जो तीस दिन से धांधक बाद की नहीं होगी। उक्त कार्य करने से पहले, जांच प्राधिकारी इस धाण्य का एक धायेश जारी करेगा कि बोर्ड का कर्मचारी प्रतिरक्षा संबंधी वियरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए—
- (i) धावेण जारी होने के पांच विन के प्रस्थर, या उस धामाभी समय-सोमा के घन्वर जो पांच विन से प्रक्षिक बाव की न होगी, जिसे जोज प्राधिकारी द्वारा निविध्ट किया जाए, उप-विभियम (3) के खण्ड (i) के उप-वाण्ड (ख) में विनिर्विध्ट सूची में दिए गए वस्तावेजों का निरोक्षण कर सकता है, तथा
- (ii) अथनी ओर से जांच किए जाने वाले साक्षियों की एक सूची प्रस्कृत कर सकता है।

टिप्पणी:—यदि बोर्ड का बर्मचारी उप-विभियम (3) में गिडिय्ट सूची में थिए गए माक्षियों से संबंधित विवरणों की प्रसियों प्रवास किए जाने के लिए सिखित में बाबेदन करता है तो जांच प्राधिकारी उसे शीक्षाति-गीक्ष उपलब्ध प्रतिया प्रवास करेगा। ये सभी प्रतियां प्रत्येक मामले में अनुणासनिक प्राधिकारी की और से साक्षियों की जांच प्रारम्भ होने से पहले मीन दिन के अन्तर्गत प्रवश्य प्रदास करवी जाएंगी, (iii) भाषेण जारी होने के 10 दिन के मन्दर या उस मागामी समय-मीमा के भन्दर, जिस जांच प्राधिकारी द्वारा निर्विष्ट किया जाए (जी 10 दिन से भिक्षक बाद की म होगी), उस दस्तावेजों को भैजने या प्रस्कुत करने के लिए सूचना देना, जो बोर्ड के कब्जे में हैं, किन्तु जिनका उल्लेख उप-धिनियम (3) में निर्विष्ट सूची में नहीं किया गया है।

टिप्पणी:—शोर्ड का कर्मचारी अपनी सूचना में बोर्ड द्वारा खोजे या प्रस्तुत किए जाने वारो अपने आवश्यक दस्ताबेजों की प्रासंगिकता के बारे में उत्सेख करेगा ।

(12) बस्तावेशों की खंजिये या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, जांच प्राधिकारों, उस तारीख सक बस्तावेश प्रस्तुत करने की माग करते हुए, जिनका उस्लेख मांग-गल में किया जाए । उन बस्तावेशों को या उनकी प्रतिमों को उस प्राधिकारी के लिए प्रेषित करेगा, जिसकी प्रभिरक्षा या कब्जे में बस्तावेश रखे गए हैं।

लेकिन जांच प्राधिकारी लिखिन में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ब्रावेश में उल्लिखित उन वस्तावेशीं की प्रस्तुत करने में इनकार कर सकता है, जो उसके विचार में मामले से प्रासंगिक नहीं हैं।

13. जप-विनिधम (12) में निर्दिष्ट मांग-पन्न के प्राप्त होने पर, बहु प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी श्रमिरक्षा या कश्जे में मांग-पन्न में उल्लिखित दस्तविज रखे हैं, उन्हें जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

लेकिन, यदि वह प्राधिकारी, जिसकी प्रभिन्ना या करने में मांग-पन्न में उल्लिखित दस्तावेज रखे हैं, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सन्तुष्ट है कि उन सभी या किन्द्री दस्तावेजों को प्रस्तुत करना लांकहित या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकृत होगा, तो वह तदनुसार जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा भीर जांच प्राधिकारी यह सूचना मिलने पर, बोर्ड के कर्मचारी को यह सूचना प्रेणित करेगा तथा उन दस्तावेजों को खोजनेया प्रस्तुत करने के लिए स्वयं द्वारा जारी किए गए मांग-पन्न को वापस लेगा।

14 जांच के लिए मिर्जारित की गई सारीख की धनु मासनिक प्राधिकारी की धोर से या स्थयं उसके द्वारा वे मौखिक एवं वस्तावेजी साध्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके द्वारा धारीप की मधों को प्रमाणिन किए जाने का किया गया प्रस्ताव है। साक्षियों की जांच स्वयं प्रस्तुतकर्ता धिकारी द्वारा या उसकी भोर की से जाएगी, जिसका प्रति जांच स्थयं बोर्ड के कर्भवारी द्वारा या उसकी छोर से की जा सकती है। प्रस्तुतकर्ता धिकारी छन सभी मुद्दों पर साक्षियों की पुनर्जींच करने के लिए हकदार होगा, जिन पर उनकी प्रतिजांच को गई है, किन्तु धन्न जांच प्राधिकारी की धनुमित के जिए, किसी नए मामने में पुनर्जींच करने के लिए हकदार करने हो हि। जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

15. धनुषासनिक प्राधिकारी की श्रीर से मामला समान्त होने से पहले यदि आवश्यक प्रतीत होगा, तो जांच प्राधिकारी, स्वविवेक से, प्रस्तुतकर्ता ग्रधिकारी को वह साक्ष्य प्रस्तुत करने की ग्रनुमति दे सकता है, जिसका उल्लेख बोर्ड के कर्मचारी को दी गई सूची में नहीं किया गया है, या वह स्वयं नए साक्ष्य की मांग कर सकता है या फिली साक्षी की पुनः बुल कर पुमर्जीच कर सकक्षा है, ग्रीर ऐसी स्थिति में बोर्ड का कर्मचारी प्रस्तुत किए अभे बाले नए साध्य तथा उस नए साध्य को प्रस्तुस करने से पहुले अभि स्थान दिवस तथा जिस दिन जांच स्थागित की जाती है उस विन को छोड़कर पूरे तीन दिन तक, आंच स्थगित किए जाने से संबंधित सुची की एक प्रति, यदि वह इसके लिए मांग करे ती, प्राप्त करने के लिए हक्षदार होगा। रिकार्ड में दर्जिक जाने से पहले, जांच प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी को वस्तावेजों का निरीक्षण करने का एक भाषसर प्रदान करेगा सदि जांच प्राधिकारी का यह विचार हो कि नया साध्य अस्तुत करना न्याय-हितों भी दृष्टि से प्राम्यक है, तो वह बोर्ड के कर्मकारी को नया सास्य प्रस्पुत करने की अनुमति भी प्रदान कर सकता **€** 1

टिप्पणी:—संक्ष्य में फिसी कभी को पूर करने के लिए न तो मए साक्ष्य की अनुमति वी जाएगी न नृष्य साक्ष्य मांगा जाएगा और न ही किसी साक्षी नो वापस मुखाबा जाग्मतः। ऐसा साक्ष्य केवल तथी माँगा जाएगा, जब साक्ष्य में कोई ऐसा झम्तर या कीई ऐसी कभी हो, जिसे मूल रूप से प्रस्तुत किया गया हो।

- 16. जब धनुशासनिक प्राधिकारी की घोर से मामसा घमान्त हो-जाएगा, तो बीर्ड के कर्मपारी से यह धपेक्षित होगा कि वह धपेकी प्रति रक्षा के लिए मीजिक या लिखित रूप में, जैमा भी वह चाहे, विवरण प्रस्तुत करे यदि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विवरण मौजिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे वर्ज कर लिया जाएगा घौर वर्ज किए गए उस विवरण पर बीर्ड के कर्मजारी के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। प्रस्येक मामले में प्रति-रक्षा सम्बन्धी विवरण की एक प्रति नियुक्त किए गए प्रस्तुनकर्ता घांधकारी, यदि कीई हो, को भी वी जाएगी।
- 17. इसके बाद बोर्ड के कर्मकारी की घोर से साध्य प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बोर्ड का कर्मकारी साध्य प्रस्तुत करना साहता है, तो बहु घननी घोर से स्वयं की भनी भांति जोच करेगा। इसके बाद ही बोर्ड के कर्मकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों की जांच की जाएगी धौर तत्यकात प्रनुपासनिक प्राधिकारी या साक्षियों पर लागू उपवस्थों के प्रमुखार जांच प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रति जोच, पुनर्जांच घौर जांच की जाएगी।
- 18. वोर्ड के कर्मकारी द्वारा प्रपत्ता मामला समाप्त कर विए जाने के बाद, घीर यदि बोर्ड के कर्मकारी ने अपनी जांच न की हो, तो जांच प्राधिकारी साध्य में उसके प्रतिकृत प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में उससे सामान्य रूप से पूछताछ करेगा, जिससे कि बोर्ड का कर्मचारी साध्य मे अपने प्रतिकृत प्रतीत होने धाली किसी घी परिस्थिति का सम्यक स्पर्धकरण प्रस्तुत कर सके।
- 19. साक्य सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत कर विष् जाने के वाध, जांच प्राधिकारी प्रस्तुनकर्ता धिकारी, यदि मोई नियुक्त किया गया हो, और बोई के कर्मचारी की सुनवाई कर सकता है, या वोनो को यदि वे चाहें तो, अपने-अपने मामलों के लिखित मार काइल करने की अनुमति प्रवान कर सकता है।
- 20. यदि बोर्ड का कर्मचारी, जिसे बारीय की सदों में मंबंधित विवरण की एक प्रति प्रदान की गई है, प्रतिरक्षा संबंधी ब्रवना लिखित विवरण इस प्रयोजन के लिए विनिद्धिय तारीख को या उससे एहले प्रस्तुत नहीं करता या अवि प्राधिपारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता, या, ब्रवका इस विनियम के उपबन्धों का ब्रनुपालन मही कर पाता, या, उनका धनुपालन करने से इनकार करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में, जीच प्राधिकारी एकतरका जीच बायोजिन कर सकता है।
- 21. (क) जहां मनुष्ठासनिक प्राधिकारी, जो विनिधम-7 के खण्ड (i) मे खण्ड (iv) में थिनिविष्ट नधी मानिक्यां श्रिथिणित करने में सम्मा है, में किसी धारीप की मवों के सम्माध्य में स्वयं जांच की हो या जांच करवायी हो, बौर बहु माश्रिकारी, घयने निजी निष्क्रपों थें। ध्यान में रखकर, या स्वयं हारा नियुवत किए गए किसी जांच माश्रिकारी के निष्क्रपों के धाधार पर अपने निर्णय को ध्यान में रखकर, व्यासी यह राय प्रकट करता है कि बिनियम-7 के खण्ड (V) से खण्ड (ix) स्क में विचिविष्ट णासितयां बोर्ड के वर्मां वारी पर अधिरोधित कर दी जाएं, तो बहु माधिकारी जांच संबंधी सभी रिकार्ड उस धनुष्ठागित प्रशिकारी के लिए प्रेंकित करेगा, जो अन्त में उन्लिखित णासितयां श्रिधिगोणित करते में सक्षम है।
- (का) जिस अनुमासिनक प्राधिकारी को ये रिकार्ड प्रेषित किए गए हैं, बहु साध्य के संबंध में रिकार्ड के धाधार पर कार्यवार्ड कर सकता है, या यदि उसका यह विचार हो कि न्याय-हितों का द्रिट में माणियों की कोई पुतर्कों के खायश्यक है, तो बहु साक्षियों को बायग बुला सकता है घोर जांच कर सकता है, साक्षियों को प्रतिज्ञांच भार पुतर्जीच कर सकता है,

तथा बोर्ड के कर्नकारी पर बहुआ।हित प्रधिरोमित कर तकता है, जो उसे इन विनियमों के प्रमुखार खाँचत अतीत होती।

22. अब भी कीई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णणः या भंगतः वर्ज करने तथा सुमने के बाद, प्रपत्ती भिक्षकारिता का प्रयोग नहीं करता है भीर उसके स्थान पर काई सन्य जांच प्राधिकारी कार्य महण करता है, जिसकी समान भिक्षकारिता है भीर जो उस अधिकारिता का प्रयोग करता है, ता उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी भ्रापत पूर्ववर्ती जांच प्राधिकारी हारा वर्ज किए गए साक्ष्य में भ्राधार पर, या स्वयं द्वारा जंगः वर्ज किए गए साक्ष्य में भ्राधार पर, या स्वयं द्वारा जंगः

लेकिन, यदि उत्तरवर्तो जोच प्राधिकारी का यह विचार हो कि न्याय-हितों की दृष्टि से उन साक्षियों को कोई पुनर्जीच आध्ययक हैं, जिनके साध्य पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं तो बहु उन साक्षियों को यापस बुला लकता है, जर्मच, प्रतिशोच और पुनर्जीच कर सकता है, जस्म कि इसमें इसमें पहले उल्लेख किया जा भूका है।

- 23(i) जांच का निष्कर्ष प्रान्त कर लेते के बाद एक रिपोर्ट सैयार की जाएगी जिसमें मिस्नलिखित दस्ताबेज भामिल किए जाएगे:
- (क) छारोप की मर्वे तथा बुध्वेहार या कथाचार के धारोणों से संबंधित विवरण,
- (ख) भारोप की प्रत्येक मद के संबंध में बोर्ड के कर्मकारी का प्रतिरक्षा संबंधी विवरण,
 - (ग) भारोप की प्रत्येक सब के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण,
- (घ) द्वारोप की प्रत्येक मद के मन्बन्ध में निष्कर्ष तथा उसके कारण।

स्पन्धीकरण :--- यदि जांच प्राधिकारी के विचार में जांच की कार्यवाही भारोप की किसी मद की यारीप की मूल मदों से भिन्न स्थापित करती हैं, तो वह आरोप की उप मद के संबंध में भपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है:--

लेकिन आरोप की उस मध के सबध में निष्कर्ध तब तक वर्ज नहीं किए जाएंगे, जब तक कि कोई के कर्मनारी द्वारा उत तथ्यों की स्वीकार नहीं कर लिया जाता है जिन पर आरोप की बह मद बाधारित है, यो जब तक योई के कर्मचारी को बारोप की उस मय के विसद्ध अपनी मतिएआ का उचित श्रवगर प्रवास नहीं किया जाता है,

- (ii) जोच प्रविकारी जहां यह प्राधिकारी स्वयं धनुशासनिक प्राधिकारो नहीं है, जांच संबधी रिकार्ड अनुवासनिक प्राधिकारी को प्रग्रेथित करेगा जिससे निस्निविधित दस्तावेज शामिस किए जाएने।
- (फ) साण्ड (i) के प्राधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, (सा) बेंग्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरक्षा संबंधी लिखित विवरण, यदि कीई हो,
- (ग) जांध के घीरान प्रस्तुन किया गया मीखिक ग्रीर वस्तावेजी साध्य
- (भ) जीच के दीरान प्रस्तुतकर्ता ग्राधिकाणी या बोर्ड के कर्मकारी द्वारा या दोनों के द्वारा फाईल किए गए लिखित सार, यदि कोई हों, बीर
- (३) जांच के सम्बन्ध में धनुणासिनक प्राधिकारी धौर जांच प्राधिक कारी ढारा जारी किए गए घावेग, यदि कोई हों।
- 11. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई: (1) यदि धनुजासनिक प्राधिकारी स्वयं आज प्राधिकारी नहीं हैं, तो स्वयं हारा निश्चित में वर्ज किए जाने बाने कारणों से, मामने को पुनर्जींच धीर रिपोर्ट के निए जांच प्राधिकारी को प्रेषिस कर सकता है। जांच प्राधिकारी उस पर यक्षासम्भव जिनियम 10 के उपवस्थों के घनुसार पुन: जांच ब्राबोजित करने के निए कार्यवाही करेगा।

- (2) यदि धम्बासिनक प्राधिकारी झारीप की किन्ही मदों के संबंधों में आंख प्राधिकारी के निष्कर्वों से सहमत नहीं हो, को यह उस इसहमति के बारे में अपने कारण दर्ज कर सकता है और उस झारीप के संबंध में अपने निजी निष्कर्व दर्ज कर सकता है, लेकिन ऐसा नभी किया जा सकता है जब इस प्रयोजन के लिए रिकार्ड के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य भीजूव हो।
- (3) धारीप नी सभी या किन्हीं सबों के संबंध में धपने निक्तवों नी ध्यान में रखने हुए, यदि धनुणासनिक प्राधिकारी का यह विकार हो कि कोई के कर्भचारी पर विसियम-7 के खण्ड (i) के खण्ड (iv) सक में विनिविष्ट शास्तियों प्रधिरोपित की जाएं, तो वह विनियम 12 में विणित किसी बात के होते हुए भी उस शास्ति को ध्रियोपित करने के लिए बावेश जारी करेगा।
- (4) झारीप के सभी या किन्ही सवों के संबंध में झपने निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए तथा जांच के दौरान प्रस्तृत किए गए साध्य के झाद्यार पर यदि प्रनृणासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि बोर्ड के कर्मचारी पर विनियम-2 के खण्ड (V) से खण्ड (IX) तक में जिनिर्दिश्ट शास्तियों झिंधरोपित की जाएं, तो वह उल शास्तियों की अधिरोपित करने के लिए श्रादेश जारी करेगा श्रीर यह झावण्यक नहीं होगा कि बोर्ड के कर्मचारी को श्रीष्ठरोपित की जाने वाली शास्ति के बारे में प्रत्यावेदन करने का झवमर प्रवान किया जाए।
 - 12. गोण शास्तियां द्यक्षिरोपित करने नी प्रतिया:
- (1) बिनियम-II के उप बिनियम (3) के उपबन्धों के प्रधीन यो के कर्मचारी पर विनियम-7 के खण्ड (i) के खण्ड (iV) तक में बिनिर्दिश्ट कोई भी शारित प्रधिरोपित करने के संबंध में कोई भी सब तक प्रारेश चारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि
- (क) बोर्ड के कर्मचारी की उसके खिलाफ कार्यवाई करने के प्रस्ताव तथा कदाचार या दुव्यंवहार के उनद्यारीयों के संबंध में लिखित में भूचित नहीं किया जाता, जिन पर कार्यवाई करने का प्रस्ताव किया गया है, और उसे उस प्रस्ताव के विरुद्ध ध्रपना प्रस्यावेयन प्रस्तृत करने का अबसर प्रदान नहीं किया जाता,
- (क) जिल म(मशों में मनुवासनिक प्राविकारी का यह विवाद हो कि पुनर्जा च प्रावश्यक है, उसमें विनियम 10 के उप विनियम (3) से उप विनियम (23) तक में निर्धारित पढ़ित से आंच श्रायोजित न्हीं की जाती,
- (ग) खण्ड (क) के प्रधीन बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तृत किए प्रध्यावेदन, यदि कोई हो, और खण्ड (ख) के धर्धान आयोजिन जांच के रिकार्ड यदि कोई हो, पर भनीकांति विचार नही कर लिया जाता,
- (व) दुर्व्यवहार या कवाचार के प्रत्येक प्रारोप के बारे में निष्कर्ष दर्ज महीं कर लिया।
- (2) उप विनियम (1) के खक्क (ख) में वर्णित किसी आस के होते हुए भी, यदि उस उप विनियम के खब्ख (क) के ब्राधीन ओई के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद यह प्रस्ताव किया जाता है कि चेनन वृद्धियां रीक वी आएं छौर ऐसी बेतन वृद्धियां रीकों से बोर्ड के कर्मचारी को देय पेंग्रन राशि पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता ही, या यह प्रस्ताव किया जाता है कि तौन वर्ष से श्रीवक ध्रवधि के लिए चेतन वृद्धियां रीक वी जाएं, या ऐसी किसी अवधि तक बेतन वृद्धियां रोक वी जाएं, जिसका संचयी प्रभाव अक्ता हो, तो बोर्ड के कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अवधिरित करने के संबंध में आदेश जारी करने से पहले विनियम 10 के उप विनियम (3) से उप विनियम (23) कक में निधारित पद्धित से जांच श्रायोजित की जाएंसी।
- (3) एसे मामलों में की जाने वाली कार्यनाहियों से संबंधित रिकार्य में निम्नतिखिल देखावेंग समिनिशत होंगे।

- (i) कोई के कर्मचारी को प्रवत्त उसके विकास की जाने वाली कार्रवाई के प्रस्ताव से सर्वधित सूचना की एक प्रति,
- (ii) कोई के कर्मचारी को प्रदरत युद्धवहाए या कवाचार के झारोपों से सबंधित क्विरण की एक प्रति,
 - (iii) कर्मचारी का प्रत्यायेवन यवि कोई हो,
 - (iv) आंच के दौरान प्रस्तुत किया गया साक्य,
- (v) वृर्ध्य इहार या कवाचार के प्रत्येक ग्रारोपों के संबंध में सिया गया निष्कर्ष और
 - (vi) मामले के संबंध में जारी किए गए आदेश और उनके कारण।
- 13. धावेश की संसूचना अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आवेशों की संसूचना बोर्ड के कर्मचारी को प्रवान की जाएगी, जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोजित जांच यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति तथा धारोप की प्रत्येक सब के संबंध में लिए गए मिष्कर्ष की एक प्रति तथा धारोप की प्रत्येक सब के संबंध में लिए गए मिष्कर्ष की एक प्रति सी प्रवान की जाएगी, या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी वहीं हैं, बहा जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा धनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों का एक विवरण, जिसमें जांच प्राधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों के उसकी असहमृति के कारणों का संक्षेप में उल्लेख होगा, भी बोर्ड के कर्मचारी को प्रवान किए जाएंगे, वशर्ने कि ये दस्तावेज उसे पहले ही प्रवान न किए गए हों।
- 1.4. सामन्य कार्यवाहियां (i) यदि किसी मामले में बोर्ड के दो या दो से प्रधिक कर्मेचारी सम्मिलित हों, तो अध्यक्ष या कोई अव्य प्राधिकारी, जो बोर्ड के ऐसे सभी कर्मेचारियों पर सेवा से बर्जीस्तगी की शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम है, यह निदेश देने हुए आदेश जारी कर सकता है कि उन सभी कर्मेचारियों के खिलाफ मामान्य कार्यवाही के रूप में अनुणासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

टिपणी:--- यदि वे प्राधिकारी, जो बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोगित करने में सक्षम हैं, अलग-अलग हैं, तो सामान्य कार्यबाठी के रूप में अनुणासनिक कार्यबाठी किए आते से संबंधित आवेश अन्य प्राधिकारियों की सहसति से, उनमें से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

- (2) ऐसे किसी भी भावेंगों में निम्नलिखित का विशेष १६५ से उल्लेख किया जाएगा:---
- (i) वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता हो,
- (ii) विभियम- 7 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियां, जिन्हें वह ग्रमुशासिनक प्राधिकारी प्रधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा ,
- (iii) कार्यवाही करते समय, विनियम-10 और विनियम 11 या विनियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का धनुपालन किया जाएगा प्रथवा नहीं।
 - 15. कतिपय मामलों में भपनायी जाने काली विशेष प्रक्रिया: विनियम 10 में विश्वत किसी बात के होते हुए भी ---
- (i) यदि किसी ऐसे झाजरण के झाझार पर कोई के किसी कर्मचारी पर कोई शास्त्रि अधिरोपित की जाती है, जिसके कारण उसे किसी भाषराधिक प्रभार के लिए दोगी ठहराया गया हो, सथवा
- (ii) यदि मनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सन्तुष्ट हो कि इन विनियमों में निर्धारित की गई पद्धति से जांच झायोजित करना यथोषित रूप से व्यवहार्य नहीं है, अववा
- (iii) यदि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के परामर्ग से सन्तुष्ट हो कि राज्य के सुरक्षा हितों की वृष्टि से इन विनियमों में निर्धारित की गई पद्धति के धमुसार जांच भागोजित करना लाभकर नहीं है, तो समुशासनिकः

प्राधिकारी सामले की परिस्थितियों पर विधार कर सकता है और उसके सबस में ऐसे प्रावेश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उधित समझे।

- 16. जिन प्रधिकारिकों की सेवाए सरकारों प्रावि को उधार वी गई हैं, जनके सम्यन्ध में उपबन्ध:
- (i) बोर्ड के किसी कर्मशारी की सेवाएं सरकारों को या उनके किसी प्रधीनस्थ प्राधिकरण को या किसी स्थानीय या भ्रन्य प्राधिकरण (जिसे इस विनियम में इससे भागे "उधार लेने वाला प्राधिकरण" कहा गया है) को उधार दी जाती है, तो उधार लेने वाले प्राधिकरण को उस कर्मशारी को निलंबमाधीन रखने के प्रयोजन के लिए नियोक्ता प्राधिकारी की तथा उसके खिलाफ धनुणामनिक कार्यवाही किए जाने के प्रयोजन के लिए धनुमासनिक प्राधिकारी की मार्वतयो प्राप्त होंगी।

बणतें कि उधार लेने वाला प्राधिकरण, बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारण जिससे इस विनियम में इसे भागे उधार देने वाला प्राधिकरण कहा गया है को यथास्थिति बोर्ड के उस कमै-खारी के निलंबनादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों के संबंध में या भन्गासनिक कार्यवाही ग्रारम्भ किए जाने के बारे में तुरन्त सुचित करेगा

- (2) बोर्ड के कर्मचारी के खिलाफ की गई प्रनुशासनिक कार्यवाही के मिल्कवों को ध्यान में रखते हुए:—
- (i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण का यह विचार हो कि विनियम-7 के खण्ड (i) से खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट गास्तियां कोई के कर्मधारी पर प्रधिरोपित की जानी काहिए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण से परामर्ग करने के बाव ही उस मामले में ऐसे धावेश जारी कर सकता है, जिन्हें वह धावध्यक समझे:

अपार्ते कि उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतभेद हो आने की स्थिति में, बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण के मधीन प्रतिस्थापित की जाएंगी

(ii) यदि उद्यार लेने वाले प्राधिकरण का यह विचार हो कि विभियम-7 के खण्ड (V) से खण्ड (ix) तक में विनिर्विष्ट शास्तियों बोर्ड के कर्मचारी पर है प्रधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उद्यार देने वाले प्राधिकरण के प्रधीन उसकी सेवाएं प्रोतस्थापित करेगा और उसे जांच सम्बन्धी कार्यवाहियों का रिकार्ड हस्तान्सरित करेगा। ऐसा होने पर उद्यार देने थाला प्राधिकरण, यदि वह प्रमुशासिक प्राधिकारी है, तो उसकी बारे में ऐसे प्रादेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह प्रावश्यक समसे प्रथना, यदि वह प्रमुशासिक प्राधिकारी नहीं है, तो सामला प्रमुशासिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जो उस मामले में ऐसे प्रदेश पारित करेगा, जिन्हें वह घावश्यक समझे।

स्पष्टीकरण :-- भनुषासनिक प्राधिकारी उद्यार लेने वाले प्राधिकरण द्वारा हस्सान्तरित की गई कार्यनाहियों के रिकार्ड के आधार पर इस उप-विनियम के अधीन अथवा जहां तक हो सके विनियम -10 के अनुसार ऐसी पुनर्जीन आयोजित करने के बाद जिसे यह आवश्यक समझे, आदेश जारी कर सकता है।

- 17. जिन अधिकारियों की सेवाएं सरकार आदि से उधार ली गई हैं, उनके सम्बन्ध में उपबन्ध:
- (1) यदि किसी ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुमासनिक कार्यवाही की जासी है या निलम्बनादेश जारी किया जाता है जिसकी सेवाएं किसी धरकार से या सरकार के किसी अधीनस्थ प्राधिकरण से या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उद्यार ली गई हैं, तो उसकी सेवाएं उद्यार देने वाले प्राधिकरण को जिसे इस विनियम में इससे भागे "उधार देने वाला प्राधिकरण" कहा गया है यथास्थिति निलम्बनादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों के बारे में या अनुमासनिक कार्यवाही आरम्भ किए जाने के बारे में तुरन्त सूचित किया जाएगा।

- (2) घोर्ब के कर्मचारी के खिलाफ को गई अनुवासिक कार्य-बाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासिक प्राधिकारी का यह जिलार हो कि बिनियम 7 के खण्ड (i) से खण्ड (iv) तक में चिनिर्दिष्ट गास्तियां बोर्ड के कर्मचारी अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह बिनियम-ii के उप विनियम-27 के उपबन्धों के अधीन सथा उधार देने वाले प्राधिकरण से परमर्श करने के बाद उस मामले में आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे। बगर्ते कि:
- (i) उद्यार लेने वाले प्राधिकरण और उद्यार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतमेद हो जाने की स्थिति में कर्मचारी की सेवाएं उद्यार देने वाले प्राधिकरण के प्रधीन प्रतिस्थापित की जाएंगी,
- (ii) यदि धनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि विनियम7 के खण्ड (v) से खण्ड (ix) तक में विनिर्विष्ट शास्तियां कर्मवारी पर धिंधरोपित की जानी चाहिए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण के अधीन उस कर्मवारी की सेवाएं प्रतिस्थायी करेगा और उसे
 जाच सम्बन्धी कार्यवाहियों का रिकार्ड हस्तान्तरित करेगा, जिससे कि धत्
 ऐसी कार्रवाई कर सके, जिसे वह इस सम्बन्ध में प्रावश्यक समझता हो।

भाग-VII

भपील

वे भावेश जिनके विरुद्ध कोई भपील महीं की जासकती:

इस भाग में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित भाषेशों के विरुद्ध कोई भपील नहीं की जाएगी :---

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भादेश,
- (ii) निलम्बनादेश को छोड़कर, वादकालीन प्रकृति का कोई प्रावेश या सहायक उपाय की प्रकृति का कोई ध्रादेश, या ध्रनुशासनिक कार्यवाह के धन्तिम निपटारे से सम्बधन्ति कोई आवेश,
- (iii) वितियम 10 के भाधीन जांच के दौरान जांव प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई धावेग।

19वें भावेश जिनके विषद्ध भगील की जा सकती है:

विनियम - 18 के उपबन्धों के प्रधीन बोर्ड का कर्मचारी निम्न-निखित सभी प्रादेशों या प्रत्येक धादेश के विरुद्ध घपील कर सकता है:

- (i) विभियम-6 के छाधीन जारी किया गया था जारी किए गए के रूप में मान लिया गया कोई निलम्बनावेश।
- (ii) यिनियम-7 यिनिर्विष्ट शास्तियां श्रीधरोपित किए जाने से सम्बन्धित कोई स्रादेश, भले ही उसे अनुशासकि प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो स्रथवा किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा,
- (iii) चिनियम-7 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाए जाने से सबंधित कोई आदेश ।
 - (iv) ऐसा ग्रावेश जिसमें :
- (क) उसे नुकसान पहुंचाने के लिए करार या विनियमों में स्थाविनियमित उसके वेदम, भरो, पेंशन या सेवा की भ्रन्य गर्ली की सस्वीकार करने या उनमें परिवर्तन करने की बात कहीं गई हो, अथवा
- (क) उस करार या उन विनियमों के उपबन्धों की ब्याख्या इसे नुकसान पहुंचाने की धृष्टि से की गई हो,
 - (v) ऐसा झादेश जिसमें :
- (क) रोध पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर उसे समय- वेशनमान में वक्षतारोध पर रोक लेने की बात कहीं गई हो

- (ख) किसी उडवतर सेका, येड या पद पर स्थानापन्न करते समय उसे, शास्ति ब्रिधिरोपित करते से ब्रन्थथा, किसी निस्ततर सेवा, ग्रेड या पद पर प्रसावतित करते की बात कही गई हो,
- (ग) नियमों के प्रधीन उसके लिए स्वीकार्य प्रधिकतम पेशन स्वीकार न करने या पेंशन रोक लेने या पेंशन में प्रधीती करने की बाह कही गई हो,
- (घ) निलम्बन अवधि के लिए या उस प्रजीब के लिए जिसके दौरान उसे निलम्बनाधीन माना गया है, या निलम्बन अवधि के किसी भाग के लिए उसे प्रदान किए जाने वाले निर्वाह भने और प्राप्त भनों के निर्धारण की बात कही गई हो.
- (코), (i) निलम्बन भवधि के लिए, या
- (ii) सेवा के अर्थास्तरी, पदच्युति या प्रतिनार्य सेना-निवृत्ति की नारीच्य से बाद की प्रविध के लिए अथवा किसी निस्ततर मेदा ग्रेड पद, समज-जेतनमान या समय-जेतनमान की किसी श्रवस्था पर उसके पदाबनयन की नारीच्य से उसकी सेवा, ग्रेड या पद पर सेवाएं पुतः चाल किए जाने या पुतः स्थापन की तारीच्य तक उसका बेतन और भने निर्शरित करने की बात कही गई हो, या
- (च) इस तथ्य के निर्धारण को बान कही गई हा कि उसके निलम्बन की तारीख से, यह सेवा से उसकी बर्खास्तगी, पदस्यृति या धनिवार्य नेवा-निष्णि की तारीख से बाद की प्रविध को, प्रथवा किसी निम्नतर सेसा, ग्रेड-पद, रामय-वेतनमान या समय-वेतनमान की किसी प्रवस्था पर उस पदावनयन की तारीख से उसकी सेवा, ग्रेड, या पद पर सेवाएं पुनः चालू किए जाने या पुन. स्थापन की तारीख तक की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए इ्यूटी पर व्यतीन की गई श्रविध के रूप में मान। जाएगा या नहीं।

स्पष्टीकरण . इस विनियम में ---

- (i) "बोर्ड का कर्मचारी" अभिय्यक्ति में वह व्यक्ति भी शामिल है,
 जा अब बोर्ड की सेवा में नहीं है;
- (ii) "पेंगन" ग्रमिञ्यक्ति में ग्रनिरिक्त पेशन, उपवान नथा भन्य मेक्षानियनि लाभ भी शामित हैं।

20. प्रपील प्रधिकारी

- (1) बोर्ड का कर्मचारी, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो अब बोर्ड की सेवा में नहीं है, विनियमन मे विनिदिष्ट सभी आदेशों या किसी आदेशों के विरुद्ध अनुसूची से इस सम्बन्ध में विनिदिष्ट अधिकारी को अपील कर सकता है।
- (2) उप विनियम (1) में वर्णित किसी बान के होने हुए भी--
- (i) विनियम-14 के अधीन भाषोजित किया सामान्य कार्य वाही से सम्बन्धित प्राप्तेण के विकद्ध अपील उस प्राधिकारी के पास की जाएगी, जिसके बहु प्राधिकारी मीधे अधीन है, जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुगासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है;
- (ii) वह ज्यक्ति जिसने यह मादेश जारी किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रपती सनुत्रतीं नियुक्ति के नाते या भ्रत्याथा यदि उस प्राह्म के सम्बन्ध में भ्रापील स्रधि-कारी बन जाना है, तो ऐसे प्रादेश के विरुद्ध प्रपील उस प्राधिकार के पास की जाएगी, ित के यह ज्यक्ति सीचे प्रधीन है।
- 3. जोई का कर्मचारी जिनियम-7 में विनिदिष्ट शास्तियों के ग्राध-रोपण में संज्ञाति किसी धादेश के विकदा केन्द्रीय सरकार में श्रपील कर 1009 GI 92---2 ,

सकता है। जहां उप-विनियम (1) य उपिश्विषय (2) के ब्राग्नीन उस प्राधिक। रो के पास ऐसी कोई ब्रापील नहीं की आ सकती हैं, यदि बह शास्ति योई के किसी प्राधिकारी द्वारा बोई के उस कर्मबारी पर किसी सेवा सगठन के रूप में बोई द्वारा मान्यता, प्राप्त किसी संस्था, सब या यूनियन के पदधारी के रूप में, उसके कार्य में सर्वाधन उसके किया-कलापों के सम्बन्ध में ब्राधिरोपित की जाती है।

21. भपील के लिए परिमीमन-मनधि

इस भाग के अधीन की गई किसी भी अपील पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएका, जब तक कि वह अपील अपील कर्ता का वी गई उस आदेश की प्रति क्षित्रके विकक्ष वह अपील कर रहा है, की प्राप्ति को तारीख से 45 दिन की अवधि के अवस्य न की गई हो।

लेकिन प्रपील प्रधिकारी उन्न ध्रवधि के समाप हा जाने के बाद भी प्रपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस तथ्य से सन्युट्ट हों कि प्रपीलकर्ता के पास समय पर ध्रपीत न करने के लिए पर्योध्य कारण सीजूद थे।

22. भ्रमील का रूप और ग्रन्थर्नस्युः

- (1) अपील करने थाला प्रश्वेक व्यक्ति ग्रामे नाम में तथा पृथक-पृथक रूप में अपील करेगा।
- (2) प्रपील उस प्राधिकारी को प्रस्तृत की अएएगी, जिसकी ध्रपील की जाती है। अपीलक तो द्वारा अपील की एक प्रति उस प्राधिकारी के लिए अप्रेषित की जाएगी, जिसने वह आदेश जारी किया था जिसके विरुद्ध प्रपील की गई है। अपील में सारवान कथनों और तक बितकों का उल्लेख किया जात, वाहिए, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है। अपील में किसी भी प्रकार की अपमानजनक या अनिबंत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा अपील स्वयं में पूर्ण होगी।
- (3) यह प्राधिकारी जिसने वह आरोग जारी किया था जिसके विरुद्ध प्रपील की गई है, प्रपील की प्रति प्राप्त होने पर, बिना किसी परिहार्य विलम्ब के, तथा अपील अधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, अपोल पर अपनी टिप्पणियां करने हुए सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसे अपोत प्राधिकारी के लिए अप्रेषित करेगा।

23. ग्रपील पर विचार करना

- 1. निलम्बनादेश के बिरुद्ध प्रतीत के मानते में, प्रपीत प्रशिकारी यह किचार करेगा कि विनियम-6 के उपबन्धों के प्राक्षार पर तथा मामले को सभी परिस्थितियों को स्थान में रखते हुए निलम्बनादेश उच्चित है या नहीं और तदनुसार आदंश की पुर्दि करेगा या उसे रह करेगा।
- 2. विनियम-7 में यिनिर्देष्ट गास्तियों के श्रविरोक्ण से संबंधित किसी श्रादेश के विरुद्ध अपील के मामले में, या उन्त विनियम के श्रधीन श्रवि-रोपित गास्ति को बढ़ाए जाने के मामले में, श्रपील ग्रविकारी यह विचार करेगा कि --
 - (क) इत जितियमों में तिर्धारित प्रक्रिश का धनुपाला किया गया है या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या भारत के संविधात के उपवंज का उत्तवंशत करके या सतीजित्यपूर्ण दंग से उसका अनुपालत नहीं किया गया है।
 - (स्त्र) अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकार्ड पर साक्ष्य द्वारा बारण्टीकृत हैं या नहीं और
 - (ग) भ्रधिरापित भारित या मधिरापित बढ़ायो गई शास्ति उचित है, ग्रतुचित्र है या सदत है;

और ऐसे बावेण पारित करेगा जिनमें---

- (i) शास्ति की पुष्टि करने, शास्ति इकाने, घटाने साममाप्त करने का उल्लेख होगा, धायवा
- (ii) ऐसे विनिर्देशन के साथ जिसे वह मामले का सभी परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, मामले को उस प्राक्षिकारी के लिए जिसने शास्ति प्रधिरोपित को या बढ़ायी या वार्ड के किसी प्रस्य प्राधिकारी के लिए प्रेषित किए जाने का उल्लेख होगा: यणतें कि—
- (i) यदि वह बढ़ायी गई गास्ति जिसे प्रश्निरोपित करने का प्रस्ताय अपील प्रश्निकारी ने किया है जित्यम-7 के खण्ड (v) से खण्ड (ix) तक में जित्तिर्वेष्ट गास्तियों में से एक हो और उस मामले में वित्तियम 10 के भ्राभीत पहले ही कोई जांच न की गई हा, तो अपील भ्राधिकारी वित्तियम-15 के उपबंधों के प्रधीन स्थयं यह जांच करेगा, या निर्देश देगा कि वित्यम-10 के उपबंधों के भ्रमुसार वह जांच की जाए और कस्पश्चात् उस जांच की कार्यवाहियों पर विचार करने के बाद ऐसे भ्रादेश जारी करेगा, जित्हें यह उच्चित समझे;
- (ii) यदि वह बढ़ायी गई शास्ति जिसे प्रधिरोपित करने क्षा प्रस्ताव धपील धिकारी ने किया है, विनिमय के खंड (v) से खण्ड (ix) सक में विनिद्धिष्ट शास्तियों में से एक हा, और उस मामले में विनियम 10 के प्रधीन पहले ही कोई जाच धायोजित की जा चुकी हो, तो अपील अधिकारी ऐसे अधिका दारी कररेला, जिन्हें वह उद्यान स्पन्न, और
- (iii) बढ़ायी गई शास्ति मिलिंगोपित करने से संबंधित कोई मादेश मिली दूसरे मामले में तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथा सम्भव विनिधम 12 के उपबन्धों के धनुसार, धपीलकर्ता को उस बढ़ायी गई शास्ति के विरुद्ध प्रत्याबदन करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता।
- 3. विनियम 19 में विनिद्धिष्ट किसी भ्रम्य भादेश के विरुद्ध भ्रयोल किए जाने पर, भ्रपीत स्रक्षिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने और ऐसे भ्रादेश जारी करेगा, जिन्हें वह उचित एवं न्यायसंगत समझे ।
- 24 अपोल संबंधा आदेशों का परिपालन:---बहु प्राधिकार। जिसने वह आदेश जारी किया या जिसके विस्त्र अपोल को गई है, अपोल प्राधिकारी डारा पारिक्ष अधिकों को प्रभावी करेगा।

भाग -VIII

पुनरोक्षण एवं पुनर्विलोकन

25. केन्द्र सरकार की पुनरीक्षण मिन :--(i) इन निनियमों में विणित किसी जात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी : समय, मपने प्रस्ताव के माधार पर प्रथम प्रत्यया, मामने का रिकार्क माम समती है, इन निनियमों के मधोन या विनियम 29 जिसके अंतर्गत मपी की माम की प्रदीत की गई है, किन्तु जिसके अंतर्गत मपी नहीं की गई है, या जिसके अंतर्गत कोई मपील नहीं का जा सकता, द्वारा निरम्प किए गए नियमों मधान जारी किए गए मादेश की परिशाधित कर सकती है, और

क. किसो ब्रावेश की पुष्टि कर सकती है, उसे ब्राणोधित कर सकती है या समाप्त कर सकती है, या

खा. भादेश द्वारा भिन्नरोषित मास्ति की पुष्टि कर सकतो है, णास्ति कम कर सकता है, उसे बढ़ा सगते। हैं या समाप्त कर सकते हैं, या जहां केंद्रि णास्ति भन्निरोपित नहीं की गर्द, है, वहा शास्ति भन्निरोपित कर सकते हैं; या गः मामले को उस प्राधिकारों के लिए प्रेचित कर सकती है जिसते धार्यम जारी किया था, या उसे किसी धारय प्राधिकारा के लिए, प्रेचिश कर सकता है यह तिरंश वेते हुए कि वह ऐसा पुनजीब धायोजित कर जिसे वह मालने की परिस्थितियों के धनुमार उचित समझता हो;

घ. ऐसे ग्रस्थ अधिया पारित कर संगता है, जिन्हें वह उचि । समझे :

बगर्ने कि प्रास्ति मिर्गिशिष किए जाने या प्रास्ति बढ़ाए जाने से संबंधित काई भी मिद्देश पुनरीक्षण प्राप्तिकारी द्वारा तब तक जारी ने किया जाएगा जब तक कि बीढं के संबंधित कर्मचारी को प्रस्मावित शास्ति के विक्रत कोई प्रत्यावेदन करने का उधित मबसर प्रधान नहीं किया जाता, और यदि विनिधम 7 के खण्ड (V) से खण्ड (iX) तक में विनिधिष्ट णास्तिणे मिर्गिशिष किए जाने या उस खण्ड में विनिधिष्ट णास्तिणे मिर्गिशिष किए जाने या उस खण्ड में विनिधिष्ट णास्तिणे मिर्गिशिष किए जाने या उस खण्ड में विनिधिष्ट णास्तिणे मिर्गिशिष किए जाने के लिए प्रस्ताव किया जाता है, और यदि उस मामले में विनिधम-10 के प्रधीन पहले ही कोई जांच न की गई हो, तो ऐसी कोई णास्ति तथ तक अधिरोधित नहीं की जाएगी जब तक कि विनिधम 15 के उपबन्धों के मधीन विनिधम-10 में निर्धारित की गई पद्मित के अनुमार जांच नहीं कर ली जातो : किरतु यह और कि पुनरीक्षण की पाक्तियों का प्रयोग विनिधम-19 के खण्ड (iv) में विनिधिष्ट आदेशों के सम्बन्ध भी किया जा सकता है।

26. श्रध्यक्ष को पुनर्विलोकन की शक्ति: — श्रध्यक्ष श्रपने श्रक्षीनस्य किसी प्राधिकारी द्वारा इन विनियमों के ग्रधीन की गई अनुणासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में, ग्रपने निजी प्रस्ताव के श्राधार पर अथवा अस्यथा, मामले के रिकार्ड की मांग कर सकता है, ऐसे मामले में पारित किए गए श्रावेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और ऐसे ग्रावेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समक्षे, इस भाव के साथ मानो बोर्ड के कर्मचारी ने उस श्रावेश के विरुद्ध उसके पास श्रपील की हो;

लेकिन इस विनियम के श्रदीन पुनिबलोकन की शक्तियां का प्रदोग बिनियम-19 के खण्ड (iv) में बिनिर्दिष्ट धादेशों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है।

किन्तु यह और कि पुनिकलोकन किए जाने वाने स्राधेश को नारीख से छः महीने से स्रधिक सबधि के बाद इन विनियम के अधीन कोई कार्रवाई भ्रारम्भ नहीं की जाएगी।

भाग-1X

विविध

27. थावेगों, नोटिसों भावि की तामील: ——इन विनियमों के भ्राधीन जारी किए गए प्रत्येक भ्रावेश, नोटिस और भ्रन्य भ्रावेशका को बोई के सम्बन्धित कर्मचारी को स्वयं प्रदान किया जाएगा या उसे पंजीकृत जाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

28. समय-मीमा में छूट देने तथा बिलम्ब के लिए माफी देने की शिक्तः — इन विनियमों में स्पष्ट क्य से यथा उपबन्धित के निवाय, वह प्राधिकारी जो इन विनियमों के प्रधीन ग्रावेश जारी करने के निए सक्षम है, उचिन एवं पर्याप्त कारण विद्यमान होने पर, या यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया है तो इन विनियमों के प्रधीन पूरा किए जाने वाने प्रपेक्षित किसी कार्य के लिए इन विनियमों में विनिद्दिट समय-मीमा को बढ़ा सकता है या किसी विलम्ब के लिए माफी दे सकता है।

29. निरमन और ब्यावृश्चियां:—1. इलायची बोर्ड मेवा (वर्गी-करण, नियन्सण और भ्रपील) नियम, 1971 एतद्द्वारा निरम्त किए जाते हैं, अशर्षे कि:

क. यह निरसन उक्त नियमों के पूर्व-प्रवर्तन की, या जारी की गई किसी श्रधिसूचना की या जारी किए गए किसी ग्रादेण को, या उसके मधीन किए गए किसी कार्गको याकी गई किसी कार्रवाई को प्रभावित सही करेगा;

- न्त, इन विनियमों के ग्रारम्भ होने के समय उक्त नियमों के ग्रधीन लम्बित कार्यवाहियां जारी रहेंगी और यथागम्भव उनका निषटारा इन विनियमों के ग्रनुसार हो इप तरह से किया जाएगा जी। कि वे कार्य-वाहियां इन विनियमों के ग्रयीन की गर्द कार्यशहियां हों।
- 2. इत वितिष्यमों की किसी बान का प्रत्रे उन व्यक्ति की, जिसपर ये वितियम लागू होते हैं, प्रपील करने के उस प्रधिकार से बंधित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो उसे इन विनिधमों के प्रारम्भण किए कीने से पहले, लागू नियमों, प्रतिसूचनाओं या धादेशों के प्रशीन प्राप्त था।
- 3. इन विनिधमों के प्रारम्भ किए आने से पहले जारी किए गए किसी ग्रादेश के विरुद्ध इन विनिधमों के प्रारम्भण के समय लिखन

िलियों घणील पर इन विनियम के घनुसार इस तरह से विचार किया जाएना और सम्मन्धित घादेश जारी किए जाएंगे जैसे कि ये धादेश इन विनियमों के घथीन जारी किए गए हों और घणील कम की गई हों।

- 4. इसं, प्रकार, इन निविधनों के प्रारम्भण किए जाने से पहले जारी किए गए किसं, भादेश के विद्वुत पुनरीक्षण या पुनविध्विक्त के लिए कोई घरोल या घावेदन इन विनिधमों के प्रारम्भण से, इन विनिधमों के खबीन इन विनिधमों के खबीन इन विनिधमों के खबीन करी किए गए हों।
- 30. शंकाओं का तिवारण :---इन विनियमों के किया उपवस्त की व्याख्या के विषय में यदि कोई शंका उपन्न होतं: है, तो मामला निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा।

टी. नन्दकुपार भा.प्र.से., प्रध्यक्ष

	घनु स्	त्री			
कम संख्या	पदों और/मश्रवा श्रेणी का वर्णन 	नियोक्ता प्राधिकारी	गास्ति प्रधिरोपित क प्राधिकारी और वे ग रोपित कर सकता है (1) से मद (10)		
			प्राधिकारी	सास्तिया	•
	2	3	4	 5	6
1.	4,000/- रुपए और इससे प्रधिक वेतनमान या देशन वाले पद (ग्रर्थात् श्रेणी-"क" के सभी पद)	ग्रह्मध्द	भ्रष्टपटर	सभी	के द्वीय सरकार
2.	श्रेणी-"ख" के सभी पव	प्रध्यक्ष	ध डय ध	मभी	केन्द्रीय संस्कार
3.	श्रेणी-"ग" के सभी पद	मिवव	सचिव	सभी	पध्यश
4.	श्रेणी-"घ" के सभी पद	सचिव	सचिव	सभी	बध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE (SPICES BOARD) NOTIFICATION

Cochin, the 10th March, 1992

F. No. 13|2|88-Vig.—In exercise of the powers conferred by Section 39 read with Section 34 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

PART—I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Appointing Authority" in relation to a Board's employee means,

- (i) the authority empowered to make appointments to the post which the Board's employee for the time being holds, or
- (ii) the authority which appointed the Board's employee to the post which he for the time being holds;
- (b) "Board" means the Spices Board constituted under the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986);
- (c) "Board's employee" means any person employed under the Board and includes a servant of the Central Government or State Government so employed;
 - (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
 - (e) "Disciplinary Authority" means the authority competent under these regulations to impose on a Board's employee any of the penalties specified in these regulations;
 - (f) "Pay" has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i) of the Fundamental Rules applicable to the Central Government employees.

SI.

No.

Rs. 2,900.

- (g) "Schedule" means the Schedule to these regulations;
- (h) "Secretary" means the Secretary of the Board;
- (i) "Service" means the service under the Board;
- (j) "The pay" or "Scale of pay" of a post means the pay or scale of pay attached to that post.
- 3. Application,—(1) These regulations shall apply to all the Board's employees, but shall not apply to—
 - (a) any person in casual employment;
 - (b) any person or daily wages;
 - (c) any person subject to discharge from service on less than one month's notice; and
 - (d) any person not brought to the regular establishment.
- (2) Notwithstanding anything contained in subregulation (1), the Board may, with the previous approval of the Central Government, by order, exclude from the operation of all or any of these regulations, any employee or groups of employees of the Board.
- (3) If any doubt arises whether these regulations or any of them apply to any persons, the matter shall be referred to the Central Government for decision.

PART-II

CLASSIFICATION

4. Classification of posts.—All posts under the scivice of the Board shall be classified as follows:—

Classification

of posts

Description of posts

·	
1. A Board's postcarrying a pay or scale of Rs. 4,000 and above.	Group 'A'
 A Board's post carrying a pay or a scale of pay of Rs. 2,900 or above but less than Rs. 4,000. 	Group 'B'
3. A Board's post carrying a pay or a scale	Group 'C'

4. A Board's post carrying a pay or a scale Group 'D' of pay of Rs. 1,150 or less

of pay of over Rs. 1,150, but less than

PART-III

APPOINTING AUTHORITIES

5. Appointment to the service.—Appointments to posts mentioned in sub-section (1) of section 4 of the Spices Board Act, 1986 shall be made by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

PART-IV

SUSPENSION

- 6. Suspension.—(1) The Appointing Authority of any authority to which it is subordinate or the Disciplinary Authority or any other authority empowered in that behalf by the Chairman by general or special order, may place a Board's employee under suspension:—
 - (a) Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
 - (b) Where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interests of the security of State; or
 - (c) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

Provided that, where the order to suspension is made by an authority lower than the Appointing Authority or without the specific authority from the Chairman, such authority shall forthwith report to the Chairman or the concerned authority the circumstances in which the order was made and seek the approval of the action taken by it.

- (2) A Board's employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority:
 - (a) With effect from the date of his detention if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours. or
 - (b) With effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation:—The period of forty eight hours referred to in clause (b) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent pediods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

3. Where a penaly of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board's employee under suspension is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have confinued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compusory retirement and shall remain in force uitil further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board's employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the Disciplinary Authority, on a consideration of the circumstances of the case decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Boards employee shall be deemed to have been placed under suspension by the authority competent so to do from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders:

Provided that on such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

- (5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent so to do.
- (b) Where a Board's employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the Board's employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.
- (c) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may, at any time, be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART V

PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

7. Penalties.—The following penalties may, for good and sufficient reasons, and as hereinafter provided, be imposed on a Board's employee, namely:—

Minor penalties

- (i) Censure;
- (ii) withholding of his promotion;
- (iii) recovery from his pay, of the whole or part, or any necuniany loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders;
- (iv) withholding of increments of pay:

Minor penalties

(v) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with Jurther direction as to whether or not the Board's employee will earn increments of pay during the period of such reduction, and whether on the express of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

- (vi) reduction to a lower time-scale of pay, grade or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Board's employee to the time-scale of pay, grade or post from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post from which the Board's employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade or post;
- (vii) compulsory retirement;
- (viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board;
 - (ix) dismissal from service which shall be a disqualification for future employment under the Board:

Provided that in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (viii) or clause (ix) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation, namely:

- (i) withholding of increments of pay of a Board's' employee for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the service or post which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) stoppage of Board's employee at the efficiency bar in the inne-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion of a Board's employee whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a grade or post for promotion to which he is cligible;
- (iv) reversion of a Board's employee officiating in a higher grade or post in the service to a lower grade or post on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
 - (v) reversion of a Board's employee appointed on probation to any other grade or post, to his permanent grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
- (vi) replacement of the services of a Board's employee whose services have been borrowed from a State Government or the

Central Government or any other authority under the control of a State Government or the Central Government, at the disposal of the authority which had lent his services;

- (vii) compulsory retirement of a Board's employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (viii) termination of the services—
 - (a) of a Board's employee appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or
 - (b) of a temporary Board's employee in accordance with the terms of his appointment; or
 - (c) of a Board's employee, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement
- 8. Disciplinary Authorities,—(1) The Chairman may impose any of the penalties specified in regulation 7 upon any Board's employee.
- (2) Without prejudice to the provisions of subregulation (1), any of the penalties specified in regulation 7 may be imposed on any Board's employee by the Appointing Authority or by any other authority not lower than the appointing authority empowered in this behalf by a general or a special order of the Board.
- 9. Authority to institute proceedings,—(1) The Chairman or any other authority empowered by a general or special order under regulation 8 may—
 - (a) institute disciplinary proceedings against any Board's employee;
 - (b) direct a Disciplinary Authority subordinate to him or it to institute disciplinary proecedings against any Board's employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in regulation 7.
- (2) A Disciplinary Authority competent under these regulations to impose any of the penaltics specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 may institute disciplinary proceedings against ony Board's employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7, notwithstanding that such Disciplinary Authority is not competent under these regulations to impose any of the latter penalties.

PART V1

PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

- 10. Procedure for imposing major penalties.—(1) No Order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 shall be made except after an inquiry held as far as may be, in the manner provided in this regulation and regulation 11.
- (2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Board's employee, it may itself inquire into, or appoint under this regulation an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any reference in other subregulations of this regulation, to the inquiring authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

- (3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Board's employee under this regulation and regulation 11, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to be drawn up—
 - the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;
 - (ii) a statement of imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain—
 - (a) a statement of all relevant facts, including any admission or confession made by the Board's employee;
 - (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.
- (4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the Board's employee, a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the Board's employee to submit within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.
 - (5) (a) On receipt of the written statement of defence, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-regulation (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Board's employee in his written statement of defence, the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit, and shall act in the manner laid down in regulation 12:
 - Provided that where the proceeding is instituted in pursuance of any order under regulation 7, the authority which instituted

- the proceeding shall, if it is not the Disciplinary Authority, submit the records to the Disciplinary Authority concerned for disposal of the case;
- (b) if no written statement of defence is submitted by the Board's employee, the Disciplinary Authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary so to do, appoint under sub-regulation (2) an inquiring authority for the purpose.
- (c) where the Disciplinary Authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Board's employee or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer", to present on its behalf the case in support of the articles of charge.
- (6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—
 - a copy of the articles of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Board's employee;
 - (iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-clause (b) of clause (ii) of sub-regulation (3);
 - (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation (3) to the Board's employee; and
 - (v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".
- (7) The Board's employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days as the inquiring authority may allow.
 - (8) (a) The Board's employee may take the assistance of any other employee of the Board, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a Legal practitioner, or, the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the Board's employee shall not take the assistance of any other employee of the Board if he has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The Board's employee may also take the assistance of a retired employee of the Board to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Chairman.

(9) If the Board's employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Board's employee thereon.

- (10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the Board's employee pleads guilty.
- (11) The inquiring authority shall, if the Board's employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Board's employee may, for the purpose of preparing his defence—
 - (i) inspect, within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-clause (b) of Clause (ii) of sub-regulation (3).
 - (ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf.

Note: If the Board's employee applies in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in subregulation (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as are available, as early as possible and in any case not later—than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority;

(iii) give a notice, within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the Board, but not mentioned in the list referred to in sub-regulation (3).

Note: The Board's employee shall indicate in his notice, the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Board.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-regulation (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Board's employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

- (14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Board's employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiry authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it may deem fit.
- (15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Board's employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the Board's employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Board's employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the Board's employee to produce new evidence. it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note:—New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacune or defect in the evidence which has been produced originally.

- (16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the Board's employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Board's employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.
- (17) The evidence on behalf of the Board's employee shall then be produced. The Board's employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Board's employee shall then be examined and shall be liable to

- cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.
- (18) The inquiring authority may, after the Board's employee closes his case, and shall, if the Board's employee has not examined himself, gentrally question him on the circumstances appearing against him in the evidence, for the purpose of enabling the Board's employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.
- (19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the Board's employee, or permit them to file written briefs of their respective cases, if they so desire.
- (20) If the Board's employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.
 - (21) (a) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7, has it self inquired into or, caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 should be imposed on the Board's employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties.
 - (b) the Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the Board's employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.
- (22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any

such witnesses as hereinbefore provided.

- (23)(i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—
 - (a) articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (b) the defence of the Board's employee in respect of each article of charge;
 - (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
 - (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation.—If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, 12 may 10 ord 10. findings on such article or charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Board's employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge;

- (ii) the inquiring authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include—
 - (a) the report prepared by it under clause (i);
 - (b) the written statement of defence, if, any, submitted by the Board's employee;
 - (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
 - (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Board's employee or both during the course of the inquiry; and
 - (e) the orders, if any, made by the Elisciplinary Authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.
- 11. Action on the inquiry report:— (1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report, and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry, as far as may be, according to the provisions of regulation 10.
- (2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.
- (3) If the Disciplinary Authority having to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 should be imposed on the 1009 GI/92-3

Board's employee, it shall, notwithstanding anything contained in regulation 12, make an order imposing such penalty.

- (4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 should be imposed on the Board's employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Board's employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.
- 12. Procedure for imposing minor pendities.—(1) Subject to the provisions of sub-regulations (3) of regulation 11, no order imposing on a Board's employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 shall be made except after—
 - (a) informing the Board's employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;
 - (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 10, in every case in which the Disciplinary Authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
 - (c) taking the representation, if any, submit ed by the Board's employee under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration;
 - (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.
- (2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-regulation (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any made by the Board's employee under clause (a) of that sub-regulation, to withold increments of pay and such withsholding of increments is likely to effect adversely the amount of pension payable to the Board's employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 10, before making any order imposing on the Board's employee any such pentity.
- (3) The record of proceedings in such cases shall include
 - a copy of the intimation to the Board's employee of the proposal to take action against him;
 - (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
 - (iii) his representation, if any;

- (iv) the evidence produced during the inquiry;
- (v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
- (vi) the orders on the case together with the reasons therefor.
- 13. Communication of order.—Orders made by tre Disciplinary Authority shall be communicated to the Board's employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority and a copy of its findings on each article of charge, or where the Disciplinary Authority is not the inquiring authority a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the Disciplinary Authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him.
- Common proceedings.—(1) Where two OΓ more Board's employees concerned are any case, the Chairman or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Board's employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding. Note:—If the authorities competent to impose penalty of dismissal on such Board's employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.
 - (2) Any such order shall specify
 - (i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of such common proceeding;
 - th_C penalties specified in regulation 7 which such Disciplinary Authority shall be competent to impose;
 - (iii) whether the procedure laid down in regulation 10 and regulation 11 or regulation 12 shall be followed in the proceeding.
- 15. Special procedure in certain cases.—Notwith-standing anything contained in regulation 10
 - where any penalty is imposed on a Board's employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or
 - (ii) Where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these regulations, or
 - (iii) where the Board, in consultation with the Central Government, is satisfied that in the interest of the security of State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these regulations, the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.
- 16. Provisions regarding officers lent to Governments, etc.—(1) Where the services of a Board's

comployee are lent to Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereafter in this regulation referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the Appointing Authority for the purpose of placing such employee under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

- Provided that the borrowing authority shall forwthwith inform the authority which lent the services of the Board's employee (hereaf'er in this regulation referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Board's employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.
- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Board's employee,—
 - (i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 should be imposed on the Board's employee, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:
 - Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Board's employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;
 - (ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 should be imposed on the Board's employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquity and thereupon the lending authority may, if it is the Disciplinary Authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or, if it is not the Disciplinary Authority, submit the case to the Disciplinary Authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary.

Explanation.—The Disciplinary Authority may make an order under this sub-regulation on the basis of the record of the proceedings transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary as far as may be, in accordance with regulation 10.

17. Provisions regarding officers borrowed from Government, etc —(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an employee whose services have been borrowed from a Government or an authority subordinate thereto or a local or other authority, the authority lending his services (hereafter in this regulation referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of suspension or of the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Board's employee, if the Disciplinary Authori y is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 should be imposed on him, may, subject to the provisions of sub-regulation regulation 11 and after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary:

Provided that

- (i) in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and lending authority, the services of the emplovee shall be replaced at the disposal of the lending authority;
- (ii) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 should be imposed on the employee, it shall replace the services of such employee at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

PART-VII APPEALS

- 18. Orders against which no appeal lies.—Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against-
 - (i) any order made by the Central Government;
 - (ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, than an order of suspension;
 - (iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under regulation 10
- 19. Orders against which appeal lies.—Subject to the provisions of regulation 18, a Board's employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :-
 - (i) an order of suspension made or deemed to have been made under regulation 6;
 - (ii) an order imposing any of the penalties specified in regulation 7, whether made by the Disciplinary Authority or by any reviewing authority;
 - (iii) an order enhancing any penalty, imposed under regulation 7;
 - (iv) an order which-
 - (a) denies or varies to his disadvantage, his pay, allowances, peusion or other conditions of service as regulated by regulations or by agreement; or
 - (b) interprets to his disadvantage the provisions of any such regulation or agree-

- (v) an order-
 - (a) stopping him at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfillness to cross the bar,
 - (b) reverting him while officiating in a higher service, grade or post to a lower service, grade or post, otherwise than as a penal-
 - (c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules;
 - (d) determining the substance and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;
 - (e) determining his pay and allowances—
 - (i) for the period of suspension, or
 - (ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in time-scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post; or
 - (f) deermining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade of post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation.—In this regulation—

- (i) the expression "Board's employee" includes a person who has ceased to be in the Board's service;
- (ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.
- 20. Appellate Authorities .-- (1) A Board's employee, including a person who has ceased to be in Board's service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in regulation 19, to the authority specified in this behalf in the Schedule.
- (2) Notwithstanding anything contained in subregulation (1)
 - an anneal against an order in a common proceeding held under regulation 14 shall lie to the authority to which the authority functioning as the Disciplinary Authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate;
 - (ii) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his

1009 GI 92-4

subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

- (3) A Board's employee may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in regulation 7 to the Central Government, where no such appeal lies to that authority under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), if such penalty is imposed, by any authority of the Board on such Board's employee in respect of his activities connected with his work as an office-bearer of an association, federation or union recognised by the Board as a service organisation.
- 21 Period of limitation for appeals.—No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of for y-five day from the ditable which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:
 - Provided that the appella e authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.
- 22. Form and contents of appeal.—(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.
- (2) The appeal half be presented to the authority to whose the appeal for a copy being for marked by the appealant to the authority which made the order appealant a limit of the authority which made the order appealant a limit on the contain all material statement of a limit on the appealant relies shall not contain any disrespectful or improper largery.
- (3) The authority which made the order appealed are the same with its comments thereon together with the relevant records to the appealed authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.
- 23 Con der tion of acreal—(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the resolution of regulation 6 and having regard to the cross times of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly
- (2) in the case of an anneal against an order imposing any of the penalties specified in regulation 7 or enhancing any penalty imposed under the said regulation the appellate authority shall consider—
 - (a) we enter the procedure laid down in these regulations has been complied with and if not, whether such non-compliance has re-

sul'ed in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice;

- (b) whether the findings of the Disciplinary Authority are warranted by the evidence on record; and
- (c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe;

and pass orders-

- (i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or
- (ii) remit ing the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority of the Board with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that-

- (i) if such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 and an inquiry under regulation 10 has not already been held in the case, the appellate authority shell, auticate to the provisions of regulation 15, it will cold such inquiry or direct that such inquiry he held in accordance with the provisions of such inquiry make such orders as it may deem fit;
- (ii) if the enhanced panalty which the appullate authority properts to impose in one of the penalties specified in clause: (v) to (ix) of regulation 7 and an inquiry under regulation 10 has already been held in the core, the appellate authority shall make such orders as it may deem fit; and
- (iii) no order imposing an enhanced genalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable conformity, as for as may be, in accordance with the provisions of regulation 12, of making a representation against such enhanced penalty.
- (3) In an appeal against any other order specified in regulation 19, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.
- 24. Implementation of orders in appeal.—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

PART VIII

REVISION AND REVIEW

- 25. Central Government's power to revise.—
 (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Central Government may, at any time, either on its own motion or otherwise, call for the records of the case, revise any order made under these regulations or under the rules repealed by regulation 29 from which an appeal is allowed, but from which no appal has been preferred or from which no appeal is allowed, and may—
 - (a) confirm, modify or set aside the order; or
 - (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or
 - (c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority, directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or
 - (d) pass such other orders as it may duem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty chall be made by the revising authority unless the Boord's employee concerned has been given a reasonable apportunity of making a representation against the penalty proposed and, where it is proposed to impose any of the penalties specified in charps (v) to (ix) of regulation. To repeat and the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties precised in the relationship the penalties provided in the penalties provided in the case no such penalty that be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 10, subject to the provisions of regulation 13:

Provided further that the powers of revision may also be exercised in respect of orders specified in clause (iv) of regulation 19.

26. Chairman's power to review.—The Chairman may on his own motion or otherwise call for records of the case in a disciplinary proceeding taken under these regulations by any authori y subordinate to him, review any order passed in such a case and pass such orders as he deems fit, as if the Board's employee had preferred an appeal to him against such order:

Provided that the powers of review under this regulation may also be exercised in respect of orders specified in clause (iv) of regulation 19;

Provided further that no action under this regulation shall be initiated more than six months af er the date of the order to be reviewed.

PART IX

MISCELLANEOUS

- 27. Service of orders, notices, etc.—Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the Board's employee concerned or communicated to him by registered post.
- 28. Power to relax time-limit and to condone delay.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.
- 29. Repeal and saving.—(1) The Cardamom Board Service (Classification, Con ret and Appeal) Rules, 1971 are hereby repealed:

Provided that-

- (a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules, or any notification or order made, or unything done or any action taken, thereunder;
- (b) any proceedings under the said rules, pending at the commencement of these regulations shall be continued and disposed of as far as array be in accordance with the provisions of these regulations as if such proceedings were organizedings under these regulations.
- (2) Mirbling in these regulations shall be construed as depriving any verson to whom these regulations apply a may right of unpeal which had accrued to him under the rules, notifications or orders in force before the commencement of these regulations.
- (3) An appeal pending at the commencement of these regulations against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made, in accordance with these regulations, as if such orders were made and the appeal were preferred under these regulations.
- (4) As from the commencement of these regulations any appeal or application for review or revision against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these regulations as if such orders were made under these regulations.
- 30. Removal of doubts.—If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Central Government for decision.
 - T. NANDAKUMAR, (I.A.S.), Chairman

SCHEDULE									
Sl. No.	Description of posts and or class	Appointing Authority	Authority competent to impose penalty and the penalty which it may impose (with reference to item (i) to (ix) in regulation 7)		Appellate Authority				
			Authority	Penalty					
1	2	3	4	5	6				
	osts carrying a pay or a scale of pay of) Rs 4,000 and above (ie. all Group A posts)	Chairman	Chairman	All	Central Government				
πΑ	.ll Group B posts	Chairman	Chairman	All	Central Government				
III A	ll Group C posts	Secretary	Secretary	All	Chairman				
IV A	Al Group D posts	Secretary	Secretary	All	Chairman				